

प्रेस-विज्ञप्ति**थाना-निजामाबाद****हत्या के प्रयास मामले में दो अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 21.08.20 को श्रीमति किरस्मत पत्नी अशफाक अहमद सा0 लाहीडीह थाना फूलपुर आजमगढ़ ने थाना निजामाबाद पर शिकायत दर्ज करायी कि मेरा पुत्र फहीम व आकांक्षा (काल्पनिक नाम) पुत्री रामचन्द्र निवासी नसीरपुरखालसा थाना निजामाबाद आजमगढ़ में प्रेम सम्बन्ध है। आकांक्षा उपरोक्त द्वारा दिनांक 20.08.2020 को फोन कर मेरे लड़के को घर बुलाकर, परिवार वालों के साथ 10-15 लोग मिल कर जान से मारने की नियत से मारपीट कर मरणासन्न अवस्था में कर दिये। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 142/20 धारा 147,149,307 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, वारंटी, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में वरिष्ठ उ0नि0 आकाश कुमार मय हमराहीयान के वांछित अभियुक्तों के मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 142/20 धारा 147,149,307 भादवि में वांछित अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र स्व0 रामसूचित व गोबिन्द उर्फ गोबिन्दा पुत्र राजाराम निवासीगण नसीरपुरखालसा थाना निजामाबाद आजमगढ़ कही भागने के फिराक में नसीरपुरखालसा मोड़ पर किसी वाहन का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना पर वरिष्ठ उ0नि0 मय हमराहीयान के नसीरपुर खालसा मोड़ पर पहुंचकर तत्काल मौके पर ही दो व्यक्ति को समय करीब 9.30 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम क्रमशः 1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 रामसूचित 2. गोबिन्द उर्फ गोबिन्दा पुत्र राजाराम निवासीगण नसीरपुरखालसा थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताये। गिरफ्तार अभियुक्तगण को उनके अपराध से बोध कराते हुए उनका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 142/20 धारा 147,149,307 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 रामसूचित निवासी नसीरपुरखालसा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
2. गोबिन्द उर्फ गोबिन्दा पुत्र राजाराम निवासी नसीरपुरखालसा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम

वरिष्ठ उ0नि0 आकाश कुमार मय हमराह थाना निजामाबाद जनपद आमजगढ़।

थाना बिलरियागंज**जुआ खेलते समय 480 रूपये व ताश के पत्ते के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार**

उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव-प्रथम थाना बिलरियागंज आजमगढ़ मयहमराह द्वारा अभियान के तहत वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर दिनांक 22.02.2021 को रामू गुप्ता के मुर्गी फार्म बहद ग्राम बरोही फत्तेहपुर के पास से हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्ते से जुआ खेल रहे दो अभियुक्त 1. नूर आलम पुत्र अब्दुल अहद निवासी ग्राम सलेमपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. रामश्रृंगार राजभ पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम बरोही फत्तेहपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को 485 रू0 नगद व ताश के 52 पत्ते के साथ समय 10.20 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 27/21 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. नूर आलम पुत्र अब्दुल अहद निवासी ग्राम सलेमपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. रामश्रृंगार राजभ पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम बरोही फत्तेहपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 27/2021 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना बिलरियागंज आजमगढ़

बरामदगी

1. 360 रू0 माल फाड़
2. जमा तलाशी 125 रू0
3. ताश के 52 पत्ते

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव-1 मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

एक नफर वारंटी गिरफ्तार

आज दिनांक 22.02.2021 को उ0नि0 राकेश यादव मय हमराह हे0का0 राकेश प्रसाद द्वारा दबिश देकर NBW ST NO 330/16 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त उमाशंकर पुत्र बृजलाल निवासी शाहडिह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को उसके घर शाहडिह से समय लगभग 08.00 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

थाना- महाराजगंज

लूट का वारंटी गिरफ्तार

दि0 22.02.21 को उ0नि0 मय हमराही कर्म0 गण के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारंटी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व के NBW/वारंटी के गिरफ्तारी के अभियान के आदेश के क्रम में क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि आप जिस NBW अभियुक्त की तलाश कर रहे है वह अपने घर पर ग्राम बुढावेहिमुद्दीनपुर में मौजूद है जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है । इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराही कर्म0 गण के साथ वारंटी के घर पहुँचा तो घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा मिला जिससे मंजीत उर्फ मनोज उपरोक्त के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब मैं ही मंजीत उर्फ मनोज हूँ , बाद बताने सम्बन्धित मु0न0 7420/20 धारा 323, 504, 392 IPC के वारंटी को समय करीब 09.25 बजे सुबह में हिरासत पुलिस मे लिया गया । गिरफ्तारी की सूचना मौके पर वारंटी के परिजन उसकी पत्नी सुनीता देवी को दिया गया । गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त मंजीत उर्फ मनोज सा0 बुढावेहिसामुद्दीनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़पूछने पर जुर्म से इनकार करते हुए अपना सफाई मा0 न्यायालय में देना बता रहे है ।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0न0 7420/20 धारा 323, 504, 392 IPC

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-मंजीत उर्फ मनोज सा0 बुढावेहिसामुद्दीनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- SHO श्री गजानन्द चौबे के नेतृत्व में उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद यादव मय हमराह हे0का0 वीरेन्द्र यादव